न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 14/2017 तारीख रजू:– 22.11.2017

जगमोहन पुत्र बिरदयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुहाना, पंचायत राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली

:– निगरानीगुजार

बनाम

1. नाहरसिंह पुत्र कैलाश जाति प्रजापत निवासी ग्राम मुहाना, पंचायत राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली
2. सचिव, ग्राम पंचायत राजाहेडा पंचायत समिति नादौती तहसील नादौती जिला करौली

–रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा क्रमांक 1230 बुक नं. 25 दिनांक 05.07.2017 ग्राम पंचायत राजाहेडा पंचायत समिति नादौती तहसील नादौती मय प्रार्थनापत्र विपक्षी संख्या 1

निर्णय दिनांक 11.09.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी गुजार ने पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 97 के तहत ग्राम पंचायत राजाहेडा पंचायत समिति नादौती के पट्टा संख्या 1230 दिनांक 05.07.2017 की निगरानी प्रस्तुत कि गई है। जिसमे अनिगरानी गुजार सख्या 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया है कि पंचायत अधिनियम 1994 के तहत जो निगरानीकार ने निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसमे मुताबिक पंचायत अधिनियम में पंचायत के किसी भी आदेश/निर्देश के विरूद्व कानूनन पंचायत अधिनियम में अपील का प्रावधान है। न की निगरानी का उक्त अपील भी मुताविक पंचायत अधिनियम के तहत पंचायत समिति की स्थाई समिति को कानूनन होती है। श्रीमान के न्यायालय में गलत पेश की गई है। जो कानूनन पोषणीय नही है। तथा श्रीमान को क्षैत्राधिकार प्राप्त भी नही है। अन्त में प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए इसी स्टेज पर खारिज करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी/निगरानीगुजार ने प्रार्थनापत्र का कोई जवाव पेश नही कर सीधे ही बहस चाही गई है।

अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

बकील प्रार्थी/अनिगरानीगुजार ने अपने बहस कथन में कहा की पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 97 के तहत निगरानी पेश की गई है जो पट्टे की है। पूर्व में पंचायत समिति की स्थाई समिति के समक्ष्य अपील होने पर उसके बाद निगरानी होगी सीधे ही निगरानी का प्रावधान नही है। नियम 166 के तहत पहले अपील होगी तथा नियम 154 के तहत आवादी भूमि का अंतरण किया गया है। बहा पर नियम 166 की अपील ही होगी। पट्टा

अप्रार्थी/निगरानीगुजार ने अपने बहस कथन मे कहा की प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण होना चाहिए जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा की सत्यता की जाच हो सके। पट्टे की अपील भी की जा सकती है। ओर निगरानी मे भी आ सकते है। इस सम्बंध में रूलिग आर.एल.आर 1988 पार्ट II पेज 331 में स्पष्ट अंकित किया गया की जिला कलक्टर ग्राम पंचायत के पट्टा की निगरानी सुन सकता है। यदि अपील पैण्डिग नही है तो निगरानी भी सुनी जा सकती है। धारा 97 में यह कही नही है। कि जिला कलेक्टर निगरानी नही सुन सकता है। इनमें समस्त अधिकार समाहित है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर ग्राम पंचायत राजाहेडा पंचायत समिति नादौती नें यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत डी.एल.सी. राशि बसूल कर प्रारूप 23 में जारी किया गया है। जिसकी अपील किसी ने भी पंचायत समिति स्थाई कमेटी में नही की गई है धारा 154 की पुष्टि करता है। यहा पर इस प्रकरण में अधिकार की बात है बहा पर पंचायत राज अधिनिम 1996 के नियम 61 के तहत ग्राम पंचायतो के आदेशो की अपील होगी जिसमें नियम 59 में अपील व पुनरीक्षण की परिभाषा दी हुई है। वकील निगरानी/अप्रार्थी द्वारा इस बावत कोई साक्ष्य आदि पेश नही किये गये है। जहा पर अपने बहस कथन में कहा की ग्राम पंचायत के पट्टे की निगरानी भी कर सकते है जिसकी ताहिद में रूलिग आर.एल. आर. 1988 पार्ट II पेज 331 पेश की गई है वहॉ पर यह है कि यह पंचायत राज अधिनियम 1961 के प्रावधान में था वर्तमान मे पंचायत राज अधिनियम 1994 लागू हो गया है यह रूलिंग इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। पंचायत राज अधिनियमो के प्रावधानो के अनुसार सर्वप्रथम इस प्रकरण में ग्राम पंचायत के पट्टे की अपील की श्रेणी में आता है जिसे सुनने का अधिकार पंचायत समिति की स्थाई समिति को है। धारा 97 के नियम के अनुसार यह प्रकरण निगरानी की परिभाषा मे नही आता है। जो अपने आप में इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है।

अतः अप्रार्थी/अनिगरानीगुजार नम्बर 1 का प्रार्थनापत्र वॉर्ड वाई लॉ होने पर स्वीकार किया जाता है। तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी उनवानी जगमोहन बनाम नाहरसिंह मु. नं. 14/17 ईसी स्टैज पर खारिज की जाती है। निगरानीगुजार सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने स्वतंत्र रहेगे । निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजाहेडा पंचायत समिति नादौती को उनकीपत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर

करौली